



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43519

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट - सी संख्या - 8013 वर्ष 2026

मोहम्मद अनवर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	डी.के. ओझा, विकास कुमार ओझा
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्यर्थीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थीगण उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित हों, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु विधि अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मूलतः यह राहत प्रार्थित की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वे मूल वाद संख्या-आर.एस.टी./24884 वर्ष 2024 (मोहम्मद अनवर बनाम दशरथ लाल एवं अन्य), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-टी202402030624884, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत लंबित है, में दिनांक 15.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में पत्थर नासब (सीमा निर्धारण) की कार्यवाही को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के वादों का निस्तारण समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित है। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है :-

“(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, यथासंभव, आवेदन की तिथि से

तीन माह के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएगी।”

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, तथापि आज दिनांक तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद प्रयागराज, उपर्युक्त वाद का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 25 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।